# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

**(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)**

मिशल संख्याः– 117/2020

निर्णय दिनांक :– 08.04.2022

उनवानी दावा :

1. रामकुंवार पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. शंकरलाल पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. पसमा पुत्री गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. मन्नी पुत्री गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

**–वादीगण–**

**बनाम**

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

**– प्रतिवादीगण–**

**उपस्थिति :–**

**श्री रमेश चन्द शर्मा** — **पेरोकार सरकार**

**अधिवक्ता वादी**

**<u>वाद दुरूस्ती इन्द्राज</u>**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 22 ख0नं0 77 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 79 रकबा 0.52 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 वाके तनग्राम चकखेडा पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। वादीगण की उक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल कौम महाजन के नाम रहन का नोट काफी समय से लगा हुआ है। जबकि मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल महाजन नाम का कोई व्यक्ति ग्राम गांवडी में निवास नहीं करता है और ना ही मिश्रीलाल महाजन के कोई वारिसान ग्राम गांवडी में निवास करते है। उक्त आराजी पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज खातेदार है तथा वर्तमान में भी वादीगण ही काबिज काश्त है। उक्त आराजी पर कभी भी मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल कौम महाजन का कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही वादीगण ने मिश्रीलाल नामक किसी व्यक्ति से कोई कर्जा लेकर भूमि को

रहन रखा है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादी नं0 1 को उक्त रहन का नोट हटाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये है तथा राजस्व शिविर में भी प्रार्थना पत्र दिये है। परन्तु आज तक उक्त रहन के नोट को नही हटाया गया है। वादीगण की वाद वर्णित भूमि में लगे हुए उक्त नोट के कारण वादीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है तथा वादीगण कई सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे है। इस कारण वाद वर्णित भूमि में से मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल महाजन के नाम रहन का नोट हटाया जाकर वाद वर्णित भूमि के राजस्व जमाबंदी रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिए यह वाद पत्र पेश है। वादीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल महाजन नाम के रहन के नोट को हटवाने हेतु प्रतिवादी नं0 1 को कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद भी उक्त रहन का नोट नही हटाने के कारण प्रस्तुत वाद कारण उत्पन्न हुआ है, जो निरन्तर जारी है।

प्रतिवादी तहसीलदार की तलबी जारी की गई। तहसीलदार की ओर से जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार हैः—बिन्दु 1 :— चरण प्रथम स्वीकार है। ग्राम चकखेडा (ग्राम खेडा गांवडी) के ख0नं0 77 रकबा 0.17 है0 व ख0नं0 79 रकबा 0.52 है0 भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। बिन्दु 2 :— चरण द्वितीय आंशिक स्वीकार है। वर्णित आराजी मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल कौम महाजन के रहन दर्ज है। लेकिन मिश्रीलाल व उसके वारिसान गांवडी निवास के सबूत वादीगण पेश करें। बिन्दु 3 :— चरण तीन स्वीकार नहीं है। वादीगण कब्जे काश्त के सबूत स्वयं पेश करे व रहन नही होने के सबूत स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु 4 :— चरण 4 स्वीकार नही है। बिन्दु 5 :— वादीगण द्वारा रहन नही होने के साक्ष्य स्वयं पेश करे। बिन्दु स्वीकार नहीं है। बिन्दु 6 :— चरण 6 लगायत 8 न्यायालय से संबंधित है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराना जाहिर किया। और सीधे की बहस की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार द्वारा भी कोई साक्ष्य नहीं करवाये जाना जाहिर किया।

साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि तनग्राम चकखेड़ा पटवार हल्का गांवड़ी में मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल महाजन नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है ना ही मिश्रीलाल के कोई वारिसान गांव में निवास करते है। अतः वादीगण की खातेदारी में से मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल महाजन के नाम को नोट हटाया जावे। वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार बहस में अनुपस्थित रहे।

पत्रावली को अवलोकन किया। वाद मिमो व बहस पर मनन किया। पेरोकार सरकार ने वाद के विरूद्ध कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. 77 व 79 में राहिन मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल कोम महाजन को सा. गांवड़ी दर्ज रिकॉर्ड है, जिसको हटाने के लिए वादी ने वाद पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 1955 की धारा 43 एवं 43 (ए) एवं राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक एफ–2(62)राज/ग्रुप–6/76 दिनांक दिनांक 18.03.1976 के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 22 के ख. नं. 77 व 79 में अंकन राहिन मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल कोम महाजन के अंकन को विलोपित किया जाता है। तहसीलदार देवली डिकी की पालना से पूर्व राहिन मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल कोम महाजन की जांच कर डिकी की पालना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर नियमानुसार हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

**(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.............................................................मुकाम**
**देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ..................**

**उनवानी दावा :**

1. रामकुंवार पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. शंकरलाल पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. पसमा पुत्री गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. मन्नी पुत्री गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

**—वादीगण—**

**बनाम**

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

**—पेरोकार सरकार—**

## वाद दुरूस्ती इन्द्राज

**मुकदमा नं. 117 सन् 2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

**आदेश**

जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 22 के ख. नं. 77 व 79 में अंकन राहिन मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल कोम महाजन के अंकन को विलोपित किया जाता है। तहसीलदार देवली डिकी की पालना से पूर्व राहिन मिश्रीलाल पुत्र छगनलाल कोम महाजन की जांच कर डिकी की पालना करे।

निजी........................................मुवलिक........................................बाबत् ........................................
........................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ........................ फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ............... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 04 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तखत ........................................

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

मुहर                                                  ओहदा .................................................

| मुद्दई | रू. | पै. | मुददायलह | रू. | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प अदालत नामा | | | स्टाम्प अदालत | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनताना वकील | | |
| मेहनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजरायहुक्मनामा | | |
| बाबत् इजरायहुक्मनामा | | | अन्य मिजान | | |
| अन्य | | | | | |
| मिजान | | | | | |

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)